न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 212/2018

अनवान :

1. कृष्णा पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी श्योदानपुरा भढ़ेर तहसील भादरा।

:-**वादी**

ब ना म

1. सावित्रि पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी श्योदानपुरा भढेर तहसील भादरा।
2. सुधीन्द्र कुमार पुत्र स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 41 ब्लाक न0 2 वार्ड न0 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर राज0।
3. सुनिल कुमार पुत्र स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 41 ब्लाक न0 2 वार्ड न0 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर राज0।
4. सुधीश कुमार पुत्र स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 41 ब्लाक न0 2 वार्ड न0 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर राज0।
5. सुधीर कुमार पुत्र स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 41 ब्लाक न0 2 वार्ड न0 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर राज0।
6. सुनिता पुत्री स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 41 ब्लाक न0 2 वार्ड न0 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर राज0।
7. स्नेहलता पुत्री स्वरूपसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 41 ब्लाक न0 2 वार्ड न0 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर राज0।
8. विधा पत्नी जय प्रकाश जाति जाट निवासी श्योदानपुरा भढेर तहसील भादरा।
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी, जरिये शाखा प्रबंधक भिरानी तह0 भादरा ।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी, जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी तह0 भादरा ।
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी, जरिये शाखा प्रबंधक छानीबडी भादरा ।
12. आएमजीबी बैंक शाखा अजीतपुरा, जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा त0 भादरा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

दावा बाबत : खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधा

अन्तर्गत धारा 53-188 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री महेन्द्र कुमार जागिड़ : वादी

दिनांक: 22.06.22

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 142/136 के खसरा न0 50 की 4.1480है0, खसरा न0 189 के मु0नं0 की 8.0680है0

Scanned with CamScanner

खातेदारी में वादीया कृष्णा की 1.745है0, प्रतिवादीगण सावित्रि की 2.024है0, सुधीन्द्र कुमार की 1.783है0, सुधीश कुमार की 1.024है0, सुनील कुमार की 1.277है0, सुनीता की 2.036है0, विधादेवी की 1.012है0, सुधीर कुमार की 1.025है0, स्नेहलता की 0.290है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण वादीया के सहखातेदार काश्तकार है जो अपने अपने हिस्सानुसार अलग अलग वाद भूमि को कास्त कर रहे हैं जिनका अलग अलग कब्जा कास्त है। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है लेकिन वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 वाद भूमि को अपने हिस्सानुसार अलग–2 कास्त करते हैं तथा उनका अलग–2 कब्जा है और वादीया ने अपने कब्जा कास्त की कृषि भूमि में सुधार करते हुए उपजाउ बनाया है लेकिन पक्षकारान् में अब वाद भूमि में सींव डोल लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है। अतः वाद भूमि में वादी अपने हिस्से की भूमि का खाता व लगान दिगर प्रतिवादीगण से मुताबिक कब्जा कास्त के जोत विभाजन करवाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा उक्त वाद पेश करने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आए। इसलिए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

एक पक्षीय साक्ष्य में वादीया कृष्णा के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्यों में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मोजा शिवदानपुरा के खाता संख्या 141/136 संवत 2072–2075 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि उनके नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि का उनके हक व हिस्सा के मुताबिक अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के मुताबिक प्रतिवादीगण से विभाजन किया जाकर खाता व लगान अलग करवाया जावें ।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वाद भूमि वादीया का संयुक्त रूप से 1.518है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। वादीया ने वाद भूमि का खाता विभाजन करवाने का कथन किया है। इस बाबत वादीया ने जमाबंदी प्रदर्श करवाई है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस से सन्तुष्ट होकर वाद वादी डिक्री किए जाने योग्य है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 142/136 के खसरा न0 50 की 4.1480है0, खसरा न0 189 की 8.0680है0 खातेदारी में वादीया कृष्णा की 1.745है0, प्रतिवादीगण सावित्रि की 2.024है0, सुधीन्द्र कुमार की 1.783है0, सुधीश कुमार की 1.024है0, सुनील कुमार की 1.277है0, सुनीता की 2.036है0, विधादेवी की 1.012है0, सुधीर कुमार की 1.025है0, स्नेहलता की 0.290है0 खातेदारी कृषि भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय नक्शा व फर्द मौका दिनांक 27.08.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता हैः–

Scanned with CamScanner

सावित्रि पत्नी अमरसिंह 2.024है0 सुचिता सुमिता पुत्रिया सुधीन्द्र कुमार 1.783है0 सुधीश कुमार 1.024है0 सुधीर कुमार 1.025है0, सुनिल कुमार 1.277है0 पि0 स्वरूपसिंह, सुनिता पुत्री स्वरूप सिंह 2.036है0, स्नेहलता पुत्री स्वरूपसिंह 0.290है0, विधा पत्नी जयप्रकाश 1.012है0 जाति जाट सा0 दे0 खातेदारः– रोही मोजा शिवदानपुरा के खसरा न0 50 की 4.148है0, खसरा न0 189/2 की 1.265है0, खसरा नं0 189/4 की 5.058है0 किता 3 कुल रकबा 10.471है0।

कृष्णा पत्नी रामचन्द्र जाति जाट सा0दे0 खातेदारः– रोही मोजा शिवदानपुरा के खसरा न0 189/3 की 1.745है0 ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग समझा जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.06.22 को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner